

कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ीः
संख्या 632/10-स्था0/ख.वि.अ./वार्षिक स्था0-2024-25/दिनांक 28 जुलाई, 2024

:: स्थानान्तरण आदेश ::

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI (3)/2018/20(1)/2017/दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रकाशित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017(संख्या 01 वर्ष 2018) के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रों में स्थित विकास खण्डों/जनपद में कार्यरत निम्न तालिका में उल्लिखित खण्ड विकास अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में इंगित उनके वर्तमान तैनाती स्थल/जनपद से स्तम्भ-04 में उल्लिखित जनपद/विकास खण्ड में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र.सं.	खण्ड विकास अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरित विकास खण्ड /जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार/स्थानान्तरण से सम्बन्धित धारा तथा स्थानान्तरण की प्रक्रिया
01	02	03	04	05
1	श्रीमती अतिया परवेज	विकास खण्ड विकासनगर, जनपद देहरादून	विकास खण्ड गदरपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17(1)(ख)(चार) के तहत

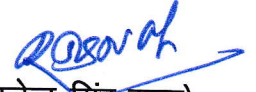
- उक्त स्थानान्तरित खण्ड विकास अधिकारी एक सप्ताह अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण कर लिया जाना सुनिश्चित कर लें। सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी स्थानान्तरित अधिनियम की धारा-22 के अनुसार उक्त स्थानान्तरित खण्ड विकास अधिकारी को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्तानुसार अवमुक्त होने वाले सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उसके विरुद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

H0/-
(सविन बंसल)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

संख्या 632/10-स्था0/ख.वि.अ./वार्षिक स्था0-2024-25/तददिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
- जिला विकास अधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22(1)के आलोक में इस आशय के साथ कि सात दिन के पश्चात् उपरोक्त सम्बन्धित स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जाय।
- खण्ड विकास अधिकारी, विकासनगर(जनपद देहरादून), गदरपुर(जनपद ऊधमसिंहनगर)
- उपरोक्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।


(राजेन्द्र सिंह रावत)
अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ीः
संख्या 633 / 10- स्था0 / ख.वि.अ. / वार्षिक स्था0-2024-25 / दिनांक 08 जुलाई, 2024

:: स्थानान्तरण आदेश ::

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI (3)/2018/20(1)/2017/दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रकाशित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017(संख्या 01 वर्ष 2018) के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण के उद्देश्य से स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रमोत्तर ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रों में स्थित विकास खण्डों/जनपद में कार्यरत निम्न तालिका में उल्लिखित खण्ड विकास अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-03 में इंगित उनके वर्तमान तैनाती स्थल/जनपद से स्तम्भ-04 में उल्लिखित जनपद में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र.सं.	खण्ड विकास अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती विकास खण्ड/जनपद	स्थानान्तरित सुगम विकास खण्ड /जनपद	स्थानान्तरण का प्रकार/स्थानान्तरण से सम्बन्धित धारा तथा स्थानान्तरण की प्रक्रिया
01	02	03	04	05
1	श्री पन्ना लाल	विकास खण्ड पोखरी, जनपद चमोली	विकास खण्ड नारायणबगड़, जनपद चमोली	वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17-(1)-(ग) दुर्गम स्थान से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत
2	श्री सुन्दर सिंह दरियाल	विकास खण्ड धौलादेवी, जनपद अल्मोड़ा	विकास खण्ड हवालबाग जनपद अल्मोड़ा	

- उक्त स्थानान्तरित खण्ड विकास अधिकारी एक सप्ताह अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण कर लिया जाना सुनिश्चित कर लें। सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी स्थानान्तरित अधिनियम की धारा-22 के अनुसार उक्त स्थानान्तरित खण्ड विकास अधिकारी को तदनुसार तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्तानुसार अवमुक्त होने वाले सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- उक्त स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उसके विरुद्ध वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/-
(सविन बंसल)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास।

संख्या 633 / 10 -स्था0 / ख.वि.अ. / वार्षिक स्था0-2024-25 / तददिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य विकास अधिकारी, चमोली/अल्मोड़ा।
- जिला विकास अधिकारी, चमोली/अल्मोड़ा।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, चमोली/अल्मोड़ा को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22(1)के आलोक में इस आशय के साथ कि सात दिन के पश्चात् उपरोक्त सम्बन्धित स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जाय।
- खण्ड विकास अधिकारी, पोखरी(जनपद चमोली), धौलादेवी(जनपद अल्मोड़ा)
- उपरोक्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी चमोली/अल्मोड़ा।

(राजेन्द्र सिंह रावत)
अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास।